

अधिस्वीकृत पत्रकार मेडिकल डायरी सुविधा

- Rajasthan State Accredited Journalist Medical Facility Scheme के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 27.05.2005 (अधिसूचना की प्रति संलग्न है।) के अनुसार 1500 रुपये प्रति वर्ष प्रति पत्रकार अधिस्वीकृत पत्रकारों को मेडिकल डायरी की सुविधा उपलब्ध करवाई गई।
- संशोधित अधिसूचना दिनांक 08.02.2007 के अनुसार (अधिसूचना की प्रति संलग्न है।) अधिस्वीकृत पत्रकारों को मेडिकल डायरी की सुविधा को 1500 रुपये प्रति वर्ष प्रति पत्रकार से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति वर्ष प्रति पत्रकार किया गया ।
- संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.05.2008 के अनुसार (अधिसूचना की प्रति संलग्न है।) अधिस्वीकृत पत्रकारों को मेडिकल डायरी की सुविधा को 2000 रुपये प्रति वर्ष प्रति पत्रकार से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति वर्ष प्रति पत्रकार किया गया ।
- संशोधित अधिसूचना दिनांक 18.07.2017 के अनुसार 2500 रुपये प्रति वर्ष प्रति पत्रकार से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति वर्ष प्रति पत्रकार निर्धारित की गई है।
- वर्तमान में यह सुविधा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24.12.2020 के अनुसार राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों के अतिरिक्त सवैतनिक गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए भी लागू कर दी गई है।